न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 19/2021
GCMS NO. : 2021/42

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. ढ़गला पुत्र पुना जाति–मेघवाल निवासी गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली।		1. डायाराम पुत्र जस्साराम 2. नेमीचन्द पुत्र जस्साराम 3. केलकी पत्नि जस्सा 5. पपली पत्नि सोहनलाल 6. जमुडी पत्नि गणेश 7. पानी पुत्री गणेश 8. मैना पुत्र गणेश 9. बगदाराम पुत्र चेला 10. लिखमाराम पुत्र नरसिंह जातियान–मेघवाल निवासीगण –गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली। 11. दुर्गाराम पुत्र गोपाराम 12. ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम 13. श्यामलाल पुत्र गोपाराम 14. बाबुलाल पुत्र गोपाराम जातियान–बावरी निवासीगण –गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली। 15. पटवारी, पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली। 16. तहसीलदार उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963

तारीख रजू:– 23/06/2021

उपस्थितः– 1. श्री कानाराम देवल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: निर्णय ::–　　　　दिनॉकः– 05/07/2022

वकील मय प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 निमय 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय धारा 05 म्याद अधिनियम, 1963 वास्ते एकपक्षीय डिक्री आदेश दिनांक 17/03/2020 को माननीय अदालत ने वाद अनवान पपली बनाम डायाराम वगैरा में पारित किया के सम्बन्ध में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि जोत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के अनुसार खेत खसरा नम्बर 88, 88/1, 90, 99 तथा 55 रकबा क्रमशः 07–15, 1–01, 10–07, 5–05 तथा 18–15 बीघा प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। 45 वर्ष पूर्व प्रार्थी व उसकी माता सायरी जिसकी कि वर्ष–2017 में देहान्त हो चुका है, दोनों का 1/3 हिस्सा है। लेकिन आज से 45 वर्ष पूर्व उक्त खसरान के खातेदार प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) के स्व. पिता पुनाराम तथा शेष प्रतिवादीगण के पूवर्ज जसाराम तथा भल्लाराम के नाम खातेदारी थी। तब पारिवारिक बंटवाड़ा सहर्ष कर लिया था। जो इस प्रकार था। प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 88 पूर्ण रकबा 8–16 बीघा ही मिला जिसमें से एक बीघा एक बिस्वा उसने प्रतिवादीगण संख्या 11 से 14 को बेचा दिया। सम्पूर्ण खसरान 90, 99 55, 88 प्रतिवादीगण के हिस्से में थे। आज तक प्रार्थी तथा शेष अप्रार्थीगण 1 से 14 शान्ति पूर्वक अपने पारिवारिक बंटवाड़ा के तहत अपने–अपने हिस्से के खेत खसरा नम्बरान पर काबिज थे। लेकिन इन वर्षों से सड़क पर स्थित भुमि के अत्यधिक भाव बढ़ने से पारिवारिक बंटवाड़े के विरोध में अप्रार्थी संख्या 1 से 13 खड़े तो हो गये, जबकि पारिवारिक बंटवाड़े के समय आम रास्ता व सड़क पर कोई भी खातेदार सहखातेदार आवारा पशुओं व जंगली जानवरों के द्वारा फसल में हानि प्रायः पहुॅचाने से लेने को राजी नहीं थे। फिर भी पारिवारिक बंटवाड़े में जो जमीन परिवार के मुखिया के द्वारा दी जाने से प्रार्थी व उसके पिता ने स्वीकार कर लिया झगड़े व वाद विवाद की स्थिति नहीं आने दी। वर्ष 2016 में प्रार्थी के हिस्से में बंटवाड़े के अनुसार आई हुई भूमि खेत खसरा नम्बर 88 के साथ वाली सड़क नेशनल हाईवे के रूप में होने से खेत खसरा नम्बर 88, 88/1 के सहखातेदारों को भूमि अवाप्ति के नोटिस दिये गये एवं क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये करीब 1800000/– का मुआवजा भुमि अवाप्ति राशि प्राप्त करने के नोटिस आने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 14 अपने पारिवारिक बंटवाड़े के फैसले को 45 वर्ष के बाद अस्वीकार कर दिया और अपने–अपने हिस्से की राशि प्राप्त कर ली। प्रार्थी ने बतौर एतराज भूमि अवाप्ति अधिकारी को समय–समय पर प्रा.पत्र उक्त आशय का दिया। लेकिन प्रार्थी को सफलता नहीं मिली। इस दौरान अप्रार्थीगण ने एक राजस्व [illegible] संख्या 184/2019 (41/2016) माननीय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण में उन्वान पपली बनाम डायाराम वगैरा का अन्तर्गत 53, 92ए का [illegible] अधिनियम का पेश कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रश्नगत वाद का दिनांक 16/12/2019 को 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' कर दिया। जिस पर माननीय अदालत ने प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लेकर बिना सुने उसको सुनवाई का अवसर दिये ही दिनांक 17/03/2020 को बंटवाडे की अन्तिम डिक्री जारी कर दी। प्रार्थी को 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' की जानकारी नहीं दी गई। तथा कोरोना काल में अदालत बंद होना बताया गया। दिनांक 17/06/2021 को प्रार्थी अपने बंटवाडे के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 7–15 बीघा पर खरीफ की फसल की तैयारी में सुड वगैरा करके उसमें बुवाई पुरी की खड़ाई आदि की तो प्रतिवादीगण संख्या 5 के पति ने आकर उसे बताया कि माननीय अदालत जैतारण से उसके पक्ष में बंटवाड़े का फैसला हो चुका है अतः शेष भूमि को छोड़ दो तब प्रार्थी ने माननीय सहायक कलक्टर की अदालत से पता किया तो उसे प्रथम वार दिनांक 18/06/2021 डिक्री आदेश व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त की। प्रश्नगत निर्णय डिक्री से ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 16/12/2019 को प्रार्थी की ओर से 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' कर दिया है। विधि अनुरूप माननीय अदालत को जरिये नोटिस प्रश्नगत 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' बाबत् प्रार्थी को सूचित किया जाना चाहिए था ताकि व अपना पक्ष रख कर उपरोक्त तथ्यों के वर्णित कर रखना एवं आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करता। अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय अदालत द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 17/03/2020 को अपास्त की जावे। उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जावें। तद्नुसार विधि अनुसार निर्णय डिक्री पारित की जावें। इस दरम्यान मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिलाया जावे।

वकील मय प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम, 1963 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बंटवाड़े का माननीय अदालत में दिनांक 17/03/2020 को एकपक्षीय डिक्री हो गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस वाद में दिनांक 16/12/2019 को बिना प्रार्थी को बताये जानकारी दिये, वाद में 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' कर दिया, जिससे उपरोक्त वाद एकपक्षीय कार्यवाही के तहत डिक्री हो गया। प्रतिवादी संख्या 5 के पति सोहनलाल ने हाल ही में दिनांक 17/06/2021 को बताया कि वह खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा में शेष हिस्से को खाली कर दें। बंटवाड़े के वाद निस्तारण का है प्रार्थी सुड व खड़ाई उक्त खेत में कर चुका है। प्रार्थी ने माननीय अदालत में पता किया एवं दिनांक 18/06/2021 को आवश्यक निर्णय डिक्री आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो पूरी जानकारी हेतु इसके पूर्व प्रार्थी को को[illegible]कारी जरिये उसके अधिवक्ता व माननीय अदालत से प्राप्त [illegible]06/2021 को पूर्ण ज्ञान होने से प्रा.पत्र अन्दर म्याद [illegible]2020 को शनिवार तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

20/06/2021 को अवकाश होने से दिनांक 21/06/2021 को वह आदेश 9 नियम 13 सहपठित नियम 151 सी.पी.सी. को प्रा.पत्र पेश करता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्दर म्याद माना जावें व सुनवाई में तारीख ली जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 11 से 14 को बार-बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई परन्तु बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5, 9 व 10 की ओर से जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया, सा.मि. है। प्रतिवादी ने अपने जवाब प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में प्रार्थी ने 45 वर्ष पूर्व सम्पूर्ण वादग्रस्त खसरा नम्बर 90, 99, 55, 88, 88/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 83 बीघा 02 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि का बंटवाड़ा हो जाने से सम्बन्धित झूठे तथ्य अंकित किये है। बल्कि वास्तविकता में सम्पूर्ण खसरा नम्बरान 90, 99, 55, 88, 88/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 83 बीघा 02 बिस्वा की भूमि जवाब देहन्दा पपली देवी व अन्य हिस्सेदारो के बीच संयुक्त व सामलाती थी। जो राजस्व रेकर्ड व मौके पर भी संयुक्त व सामलाती रही है। जिसके बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हुआ था। एवं इस भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर पक्षकारों के बीच दिनांक 06/02/2016 को विवाद होने की वजह से जवाब दहेन्दा पपली देवी ने अदालत श्रीमान् के समक्ष एक मूल वादपत्र संख्या 184/2019 (41/2016) पेश किया था जो दिनांक 25/02/2016 को दर्ज किया जाकर प्रार्थी सहित दीगर हिस्सेदारों को जरिये सम्मन के तलब किया गया था। जिस पर आगामी पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 15/06/2016 को नियत की गई। जिस पर बावजूद भी तामील के प्रार्थी ढंगलाराम के पेश नहीं होने पर दिनांक 15/03/2016 को प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 27/02/2018 को प्रार्थी ढगलाराम की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश पंचारिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया था। उसके बाद दिनांक 30/07/2019 को पपली की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करते हुये दिनांक 13/08/2019 को न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थी ढगलाराम के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करते हुये प्रार्थी ढगलाराम को जवाबदावा पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात ढगलाराम की ओर से अदालत श्रीमान के समक्ष नियत तारीख पेशीया दिनांक 27/08/2019, 03/09/2019, 11/09/2019, 17/09/2019, [illegible]09/2019, 03/10/2019, 23/10/2019, 04/1[illegible]2019, [illegible]2019, 25/11/2019, 11/12/2019 तक प्रार्थी [illegible] कोई जवाबदावा पेश नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

हुआ। इसी दौरान ढगलाराम की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने भी अदालत श्रीमान् के समक्ष 'नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड' कर दिया। जिस पर आगामी तारीख दिनांक 16/12/2019 को प्रार्थी ढंगलाराम के जवाबदावा के अवसर को बन्द करते हुये इस प्रकरण में बाद सुनवाई वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स बाउण्डस के बंटवाड़ा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार जैतारण के नाम पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात आगामी तारीख 20/01/2020, 10/02/2020, 02/03/2020 के बाद प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर दिनांक 05/03/2020 को अन्तिम बहस सुनते हुये दिनांक 17/03/2020 को बाद समायत बहस के अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसकी पालना तहसीलदार जैतारण द्वारा करते हुये वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किया जा चुका है। इस प्रकार से प्राथमिक डिक्री की पालना करते समय भी इस वादग्रस्त भूमि के सभी हिस्सेदारो को सुचित करते हुये प्राथमिक डिक्री की पालना की गई है। इस प्रकार से इस पद में प्रार्थी का कथन कतई गलत है कि उसके अकेले के हिस्से में खसरा नम्बर 88 का सम्पूर्ण रकबा रखा गया था एवं शेष खसरा नम्बर की भूमि दीगर हिस्सेदारो के हिस्से में रखने के कथन भी कतई गलत है। बल्कि बंटवाड़े की अन्तिम डिक्री अदालत श्रीमान द्वारा पारित हुई है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमिता नही है। भूमि संयुक्त व सामलाती होने की वजह से प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता ने न्यायालय द्वारा प्रदर्त समय में अपनी ओर से कोई जवाबदावा एवं उज्जर ऐतराज पेश नहीं किया था। जिस पर अदालत श्रीमान द्वारा प्रार्थी ढगलाराम के जवाबदावा के अवसर को बन्द किया गया। प्रार्थी ढगलाराम ने केवल इस प्रकरण में जवाब देहन्दागण को अनावश्यक रूप से तंग व परेशान करने की मंशा से झूठे तथ्यों का समावेश करते हुये यह निराधार कार्यवाही पेश की है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। दिनांक 17/06/2021 का उल्लेख झूठी कार्यवाही करने की मंशा से इस पद में प्रार्थी ढगलाराम ने निराधार किया है। अदालत श्रीमान द्वारा पारित बंटवाड़ा की जानकारी प्रार्थी ढगलाराम को पूर्व से ही रही है। दिनांक 17/06/2021 व 18/06/2021 का उल्लेख झूठी कार्यवाही करने की मंशा से इस पद में प्रार्थी ढगलाराम ने निराधार किया है। अदालत श्रीमान द्वारा पारित बंटवाड़ा की जानकारी प्रार्थी ढगलाराम को पूर्व से ही रही है। उक्त तथ्यों के अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ढगलाराम इस प्रकरण में सद्‌भावी पक्षकार कतई नही है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो पक्षकार सोता रहता है एवं न्यायालय द्वारा प्रदर्त समय में अपनी ओर से कोई कार्यवाही नहीं करता है उसे विधि भी कोई मदद नही करते है। इस प्रकार से प्रार्थी ढगलाराम इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई अनुतोष पाने के अधिकारी [illegible] है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। [illegible] प्रार्थी ढगलाराम ने प्राथमिक डिक्री को भी चेलेन्ज नही किया [illegible] अन्तिम डिक्री दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

17/03/2020 को चेलेन्ज करने का प्रार्थी ढगलाराम को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है । कारण कि दिनांक 17/03/2020 को प्रार्थी ढगलाराम के विरूद्ध कोई एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित नही हुये है। इसलिये भी प्रार्थी ढगलाराम की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें। अतः जवाब कार्यवाही मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ढगलाराम की ओर से प्रस्तुत उक्त कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5, 9 व 10 ने अपने जवाब प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम, 1963 में कथन किया कि इस प्रकरण में पूर्व में दिनांक 15/03/2016 को प्रार्थी ढगलाराम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुये थे। जिस पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी दिनांक 27/02/2018 के मार्फत प्रार्थी के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करते हुये प्रार्थी ढगलाराम को मूल वादपत्र साक्ष्य व सबूत मय जवाबदावा पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नहीं किये जाने की सूरत में अदालत श्रीमान द्वारा प्रार्थी ढगलाराम के जवाबदावा के अवसर को बन्द किया गया। इस प्रकार से प्रार्थी ढगलाराम इस प्रकरण में सद्भावी पक्षकार कतई नही है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो पक्षकार सोता रहता है एवं न्यायालय द्वारा प्रदत्त समय में अपनी ओर से कोई कार्यवाही नही करता है उसे विधि भी कोई मदद नहीं करते है। इस प्रकार से प्रार्थी ढंगलाराम इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है एवं उसके विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश पूर्णतया विधिक है। साथ ही अदालत श्रीमान द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 17/03/2020 की कार्यवाही भी पूर्णतया विधिक है। अदालत श्रीमान् द्वारा पारित बंट्वाड़ा की जानकारी प्रार्थी ढंगलाराम को पूर्व से ही रही है। दिनांक 17/06/2021 व 18/06/2021 का उल्लेख झूठी कार्यवाही करने की मंशा से इस पद में प्रार्थी ढंगलाराम ने निराधार किया है। अदालत श्रीमान द्वारा अन्तिम डिक्री दिनांक 17/03/2020 को पारित की जा चुकी है तथा यह कार्यवाही दिनांक 21/06/2021 को लम्बे समय बाद पेश की गई होने से प्रार्थी म्याद में छुट पाने का कतई अधिकारी नही है। प्रार्थी ढंगलाराम सद्भावी भी नही अतः जवाब कार्यवाही मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ढगलाराम की ओर से प्रस्तुत उक्त कार्यवाही म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के होने से खारिज की जावें।

बहस विद्वान वकुलाय की प्रार्थनापत्र पर सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी/सायल की ओर से अपने पक्ष में निम्नलि[illegible] किये गए:-

1. (2019)3 Civ. [illegible] 217
2. 2001(1) Civil court cases 14[illegible]&H)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी/सायल द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टाँत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय-निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिसीमा अधिनियम के संबंध में कोविड महामारी के कारण उस काल (15/03/2020 से 28/02/2022) को परिसीमा अवधि में शामिल नहीं करने के आदेश के आलोक में उक्त प्रा.पत्र अन्दर म्याद शुमार करते हुए प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 निमय 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का बिन्दूवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर यह कथन किये कि राजस्व वाद संख्या 184/2019 (41/2016) पपली बनाम डायाराम वगै. में प्रार्थी के अधिवक्ता ने 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' कर दिया। जिस पर प्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही हो गई तथा दिनांक 17/03/2020 को बंटवाड़े की अंतिम डिक्री जारी कर दी। प्रार्थी को 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' की जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 18/6/2021 को प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई। अतः दिनांक 17/03/2020 को पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाने का निवेदन किया गया।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3, 5, 9 व 10 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि दिनांक 15/03/2016 को प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिसे प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी. सी. दिनांक 30/07/2019 को पेश किया। दिनांक 13/08/2019 को प्रार्थी ढगलाराम के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मंसूख किया गया तथा अनेकानेक अवसर पश्चात् जवाबदावा पेश नहीं किया गया। ढ़गलाराम द्वारा प्राथमिक डिक्री को चैलेंज भी नहीं किया है। अतः अंतिम डिक्री को चैलेंज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी ढगलाराम की ओर से प्रस्तुत उक्त कार्यवाही काबिल खारिज होने से खारिज करने का निवेदन किया गया।
3. आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्न प्रावधान है-

"प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना- किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, व प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा व डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर [illegible] पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के [illegible] जमा करने के या अन्यथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा ;

परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि वह केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादीयों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी ;

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।''

मूल वाद की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 (हस्तगत प्रा.पत्र के प्रार्थी) के अनुपस्थित रहने से दिनांक 15/03/2016 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 5 (प्रार्थी) द्वारा मूल वाद में प्रा.पत्र दिनांक 27/02/2018 को अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 सी.पी.सी. वास्ते एकपक्षीय कार्यवाही को मंसुख करने बाबत् प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 13/08/2019 को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 5 (प्रार्थी) को जवाबदावा प्रस्तुत करने के दिनांक 13/08/2019 से दिनांक 16/12/2019 तक अनेकानेक अवसर दिये गये परन्तु अनेकानेक अवसर देने व कॉस्ट राशि पर अवसर देने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 16/12/2019 को जवाबदावा बंद किया गया। दिनांक 16/12/2019 को वकील प्रतिवादी संख्या 5 (प्रार्थी) द्वारा 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' करने पर प्रतिवादी संख्या 5 (प्रार्थी) को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाने के बावजूद न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध पुनः दिनांक 16/12/2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः मूल वाद की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को मूल वाद में अपना पक्ष रखने हेतु अनेकानेक अवसर दिये गये परन्तु उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5 ढ़गला) वाद की कार्यवाही के प्रति बिलकुल भी गंभीर नहीं रहे तथा अपने अधिवक्ता के निरंतर संपर्क में नहीं रहना प्रतीत होता है जिससे इनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16/12/2019 को 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' किया।

4. प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) ने यह [illegible] किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 16/12/201[illegible] के राजस्व वाद पपली बनाम डायाराम वाद संख्या [illegible]6) में 'नो इन्सट्रक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्लीड' कर दिया तथा माननीय अदालत को जरीये नोटिस प्रश्नगत 'नो इन्सट्रक्शन' बाबत् प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) को सूचित किया जाना चाहिए था ताकि व अपना पक्ष रख कर आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करता। मूल वाद की पत्रावली व आदेशिका के अवलोकन से व प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) के उक्त कथन के संबंध में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 5) को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उसके वकील ने सुनवाई की विभिन्न तारीखों पर पेश होने के बाद 'कोई निर्देश नही' का अनुरोध किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि केवल एक अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रार्थी/प्रतिवादी का दायित्व खत्म नहीं हो जाता। प्रार्थी/प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत् निर्देश दिये गए वकील की उपस्थिति सुनिश्चित करके मामले में अपने हित की देखभाल करना था। यदि कोई पक्ष उसे पूर्ण निर्देश दिये बिना एक वकील नियुक्त करता है और एक प्रतिकूल आदेश भुगतता है क्योंकि वकील की दलील है कि कोई निर्देश नहीं है, तो उस पक्ष पर पूरी तरह से दोष निहित है और ऐसा पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि उसे पर्याप्त कारण के कारण न्यायालय में पेश होने से रोका गया। अधिवक्ता द्वारा किसी पक्ष की ओर से 'नो इन्सट्रक्शन प्लीड' करने पर न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में उसे नोटिस दिया जाना कानून के एक सामान्य सिद्धांत को निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। यह पूर्ण रूप से प्रकरण के तथ्यों पर निर्धारित है। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया किसी प्रतिवादी को शुरू में वकील के माध्यम से पेश होने तथा वकील को 'कोई निर्देश नहीं' देने और फिर नए नोटिस पर जोर देने के लिए कहकर मुकदमे के निपटान में देरी करने के लिए मौका देगी। एक बार जब प्रतिवादी को तामील दी गई और वकील के माध्यम से पेश किया गया, उसके बाद प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह मुकदमे का बचाव करता रहे। वादी को इस तरह के एक नए नोटिस का खर्च वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

5. साथ ही आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. के अन्तर्गत एकपक्षीय डिक्री को उसी दशा में अपास्त की जाती है जबकि किसी प्रतिवादी के विरूद्ध सम्मन की तामील सम्यक् रूप से नहीं हुई हो या व युक्तियुक्त कारणों से उपसंजात होने में असमर्थ रहा हो। पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी(प्रतिवादी संख्या 5 कुगाला) के विरूद्ध पूर्व में की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मंसुख कर उन्हें दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था परन्तु प्रतिवादी द्वारा ... की कार्यवाही के प्रति गंभीरता का अभाव, उदासीनता ... करते हुए अनेकानेक व अंतिम अवसर देने के ... नहीं किया गया। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

हस्तगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी द्वारा कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी राजस्व वाद संख्या 184/2019 (41/2016) पपली बनाम डायाराम के संबंध में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 निमय 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. भली–भांति साबित न होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना विधिसंगत व उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 9 निमय 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनाँक 05/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:31 IST
Reason: SelfAttested